रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274077
CG-DL-E-04072026-274077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

फा.स 1-सीए(7)/243/2026— चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी हितधारकों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिसमें ये प्रारूप विनियम प्रकाशित किए जाते हैं, तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, उन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद् को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110 002 को संबोधित करते हुए अग्रेषित कर सकेगा ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में, -

(क) विनियम 48 के उपविनियम (1) में,

(i) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

आर्टिकल्ड सहायक की सेवा के सामान्य स्थान का वर्गीकरण	**प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान**	**प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान**
(1)	(2)	(3)
(i) बीस लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/शहर	रु.5000/-	रु.6000/-
(ii) पांच लाख से अधिक किंतु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/शहर	रु.4000/-	रु.5000/-
(iii) पांच लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/शहर	रु.3000/-	रु.4000/-

(ii) सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2023 के आरंभ को या उससे पूर्व तीन वर्ष की अवधि के लिए आर्टिकल्ड सहायक के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया है, को प्रिंसिपल द्वारा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट दरों पर, जो उनके संशोधन से पूर्व यथा प्रवृत्त थी, न्यूनतम मासिक मानदेय संदत्त किया जाएगा ।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./189/2026-27]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 21 जून, 2023 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/201/2023 द्वारा किया गया था ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, 25th June, 2026

F. NO. 1-CA(7)/243/2026.— The following draft of Regulations to further amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all stakeholders likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft Regulations, may forward the same to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified addressed to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft Regulations before the expiry of the period so specified shall be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2 In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -

(a) In Regulation 48, in sub-regulation (1),

(i) For the Table, the following Table shall be substituted, namely,-

"Table

Classification of the Normal place of service of the articled assistant.	During the First year of Training.	During the second year of Training.
(1)	(2)	(3)
(i) Cities/Towns having population of twenty lakhs and above	Rs.5000/-	Rs.6000/-
(ii) Cities/Towns having population of five lakhs and above but less than twenty lakhs	Rs.4000/-	Rs.5000/-
(iii) Cities/Towns having a population of less than five lakhs	Rs.3000/-	Rs.4000/-

(ii) After Table, the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that a candidate who was registered as an articled assistant for a period of three years, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall be paid by the principal, a minimum monthly stipend, at the rates specified under this regulation which were in force prior to their amendment."

CA. (DR.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./189/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide Notification number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and last amended vide Notification No. 1-CA(7)/201/2023 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 21st June, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.04 02:06:57 +05'30'